


कार्यवाही विवरण

आदेश

१०/१२
२५

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित नहीं।
 न्यायालय का समय पूर्ण होने तक बार-बार आवाज लगाई
 गई। बार-बार आवाज लगाने के बाद भी वकील वादी/प्रार्थी
 उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर अदमं हाजरी
 अदम पैरवी में खरिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार
 होकर नम्बर से कम हो व दाखील दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी

प्रमाणित है कि प्रमाणित किया है कि
 प्रमाणित है कि प्रमाणित किया है कि
 प्रमाणित है कि प्रमाणित किया है कि
 प्रमाणित है कि प्रमाणित किया है कि

प्रमाणित है कि प्रमाणित किया है कि
 प्रमाणित है कि प्रमाणित किया है कि
 प्रमाणित है कि प्रमाणित किया है कि
 प्रमाणित है कि प्रमाणित किया है कि

प्रमाणित है कि प्रमाणित किया है कि
 प्रमाणित है कि प्रमाणित किया है कि
 प्रमाणित है कि प्रमाणित किया है कि
 प्रमाणित है कि प्रमाणित किया है कि